

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)**  
**(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)**

**दांडिक0प्र0क0-268 / 11**  
**संस्था0दि0 12 / 09 / 11**  
**फाईलनं.233504000552011**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

--: **विरुद्ध :-**

बबलु पिता गन्ने, उम्र 40 वर्ष, जाति कोरकू,  
 पेशा-मजदूरी, नि0ग्राम जिराढाना,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- **अभियुक्त**

--: **निर्णय :-**

**(आज दिनांक 27 / 12 / 2016 को घोषित)**

- 1- अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 "ए" के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 10/09/11 को समय 17:00 बजे ग्राम हसलपुर स्वयं के आधिपत्य में 10 लीटर महुआ शराब अवैध रूप से आधिपत्य में रखी।
- 2- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10/09/11 को प्रधान आरक्षक श्री बिसनसिंह को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति पेट्रोल पम्प के पास अवैध रूप से महुआ शराब बेचने की गरज से उसके पास रखी है कि सूचना पर हमराह स्टॉफ एवं साक्षी कृष्णा, भूरा, के साथ मौके पर जाकर दबिश दिया, जो आरोपी बबलू निवासी जिराढाना का एक प्लास्टिक की कुप्पी में 10 लीटर महुआ हाथ भट्टी की शराब रखे हुये मिला जिसे समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया। उसके पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 लेखबद्ध की गई। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 240/11 भा.द.सं धारा-34 "ए" आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 10/09/11 को सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्त को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 3 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
- 3- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 4- : **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-**

1-"क्या आपने दिनांक 10/09/11 को समय 17:00 बजे ग्राम हसलपुर स्वयं के आधिपत्य में 10 लीटर महुआ शराब अवैध रूप से आधिपत्य में रखी?"

**-: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**  
**विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण**

5- अभियोजन साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 10/09/11 को इलाका भ्रमण के दौरान ग्राम जैतपुर में सूचना मिली की हसलपुर पेट्रोल पम्प के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भट्टी की महुआ शराब लेकर बेचने की नियत से जा रहा है। सूचना पर हमराह स्टाफ आरक्षक जगदीश एवं साक्षी कृष्णा और भूरा को लेकर मौके पर पहुँचा घेराबंदी कर अवैध शराब लेकर जाकर व्यक्ति को पकड़ा उसके कब्जे से एक प्लास्टिक की कुप्पी में करीबन 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब समक्ष गवाहन जप्त किया, जप्ती पत्रक प्र0पी0 2 तैयार किया जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि साक्षी भूरा और कृष्णा को पहले से जानता है और उसने बुलाकर हस्ताक्षर करवाए थे। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि साक्षियों के मौके पर हस्ताक्षर करवाए थे। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि उसने जप्ती पत्रक थाने में बैठकर बनाया था। उक्त तथ्य को तर्क के दौरान बचाव पक्ष ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कराया कि उनके कब्जे से महुआ की शराब 10 लीटर की जप्ती नहीं की गई है और घटना स्थल थाने से 3 कि0मी0 की दूरी पर है। उन्हें झूठा फंसाया गया है।

6- सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 2 दिनांक 10/09/11 को समय 17:00 बजे अभियुक्त से जप्त होना बताया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 दिनांक 10/09/11 को समय 17:00 बजे लेख की गई है। अर्थात् थाने पर ही जप्ती की कार्यवाही की गई है जो विवेचना अधिकारी बिसन (अ0सा02) के द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान हसलपुर पेट्रोल पम्प के पास एक व्यक्ति हाथ भट्टी महुआ शराब लेकर बेचने की नियत से जा रहा है उक्त तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। क्योंकि हसलपुर थाना आमला से 3 कि0मी0 की दूरी पर है। एक ही समय पर थाना एवं घटना स्थल का होना अभियुक्त के कब्जे से अवैध रूप से हाथ भट्टी महुआ की शराब 10 लीटर जप्त किया जाना संभव ही नहीं है। साथ ही प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया जाना कि साक्षी भूरा और कृष्णा को पहले से जानता है उसने बुलाकर हस्ताक्षर करवाए थे। अर्थात् थाने पर ही हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। जप्ती के स्वतंत्र साक्षी कृष्णा एवं भूरा अदम पता है उनकी साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर अवैध महुआ की शराब को जप्त किया जाना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से अभियोजन कथा का समर्थन नहीं होता है।

7- अभियोजन साक्षी जगदीश (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 10/09/10 को उसे प्रधान आरक्षक बिसनसिंह के द्वारा उसे साथ लेकर ग्राम जीराढाना गया था, जहां पर अभियुक्त बबलु पेट्रोल पम्प हसलपुर में 10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ की शराब लेकर बेचने जा रहा था तो प्रधान आरक्षक बिसनसिंह के साथ उसे पकड़ा था और पकड़कर गवाह कृष्णा एवं भूरा के समक्ष प्रधान आरक्षक बिसनसिंह ने महुआ की शराब की जप्त कर जप्ती बनाई थी और बिसनसिंह के द्वारा ही प्रकरण में कार्यवाही की गई थी। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

8- इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 02 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने कुप्पी का नाप नहीं किया था अंदाजन कुप्पी देखकर बताया था कि 10 लीटर की है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि

थाने में बिसनसिंह हेडसाहब ने आरोपी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की उसे नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि आरोपी किस चीज से नाप कर विक्रय कर रहा था उसने नहीं देखा। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उक्त प्रकरण में बिसनसिंह ने उसके हस्ताक्षर नहीं लिए उक्त प्रकरण में बिसनसिंह ने किसी भी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं लिए थे। जबकि यह गवाह प्रधान आरक्षक बिसनसिंह के साथ कस्बा भ्रमण के दौरान जाना बताया गया है और सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 2 के अनुसार घटना स्थल पेटोल पम्प के पास हसलपुर पर जप्ती किया जाना स्पष्ट रूप से उल्लेख है जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में व्यक्त किया है कि अभियुक्त को पकड़कर सीधे थाना लेकर आ गए। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि थाने में बिसनसिंह हेड साहब ने आरोपी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की उसे नहीं मालूम। अर्थात् घटना स्थल पर महुआ की कच्ची शराब 10 लीटर की जप्ती नहीं की गई और बिसनसिंह साहब ने क्या कार्यवाही की इस गवाह को जानकारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह विश्वसनीय दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त के कब्जे से घटना स्थल पेटोलपम्प के पास हसलपुर में महुआ की कच्ची शराब 10 लीटर की जप्ती की गई।

9— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने स्वयं के आधिपत्य में 10 लीटर महुआ शराब अवैध रूप से आधिपत्य में रखा। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने स्वयं के आधिपत्य में 10 लीटर महुआ शराब अवैध रूप से आधिपत्य में रखा। इस प्रकार अभियुक्त बबलु को आबकारी अधिनियम की धारा-34 “ए” के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— अभियुक्त के धारा-313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

12— प्रकरण में जप्त शुदा 10 लीटर कच्ची महुआ शराब मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0